न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 07/2019 दायर दिनाँक 08.01.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सोहनलाल पुत्र श्री नन्दलाल 2. लोकेश कुमार पुत्र श्री छगनलाल जाति– ब्राहम्ण, निवासी– केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1– ओम प्रकाश पुत्र श्री धनराज 2– लादु उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 3– अनुराधा पुत्री श्री काशीप्रसाद 4– नीलम पुत्री श्री काशीप्रसाद 5– उमेश पुत्र श्री सत्यनारायण 6– महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 7– उर्मीला पुत्री श्री सत्यनारायण 8– अमृता पुत्री श्री सत्यनारायण 9– श्रीमति सुशीला बैवा सत्यनारायण 10– पुखराज पुत्र श्री छगनलाल 11– पवन पुत्र श्री छगनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 12– तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह, वादी।
2. श्री विरेन्द्रसिंह वकील प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 28.01.2019

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, कि वादीगण व प्रतिवादीगण स्व0 आईदान जी वारिसान है। जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार से हैः–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 07/2019
दायर दिनाँक 08.01.2019, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
सोहनलाल बनाम् ओम प्रकाश, वगैरा।

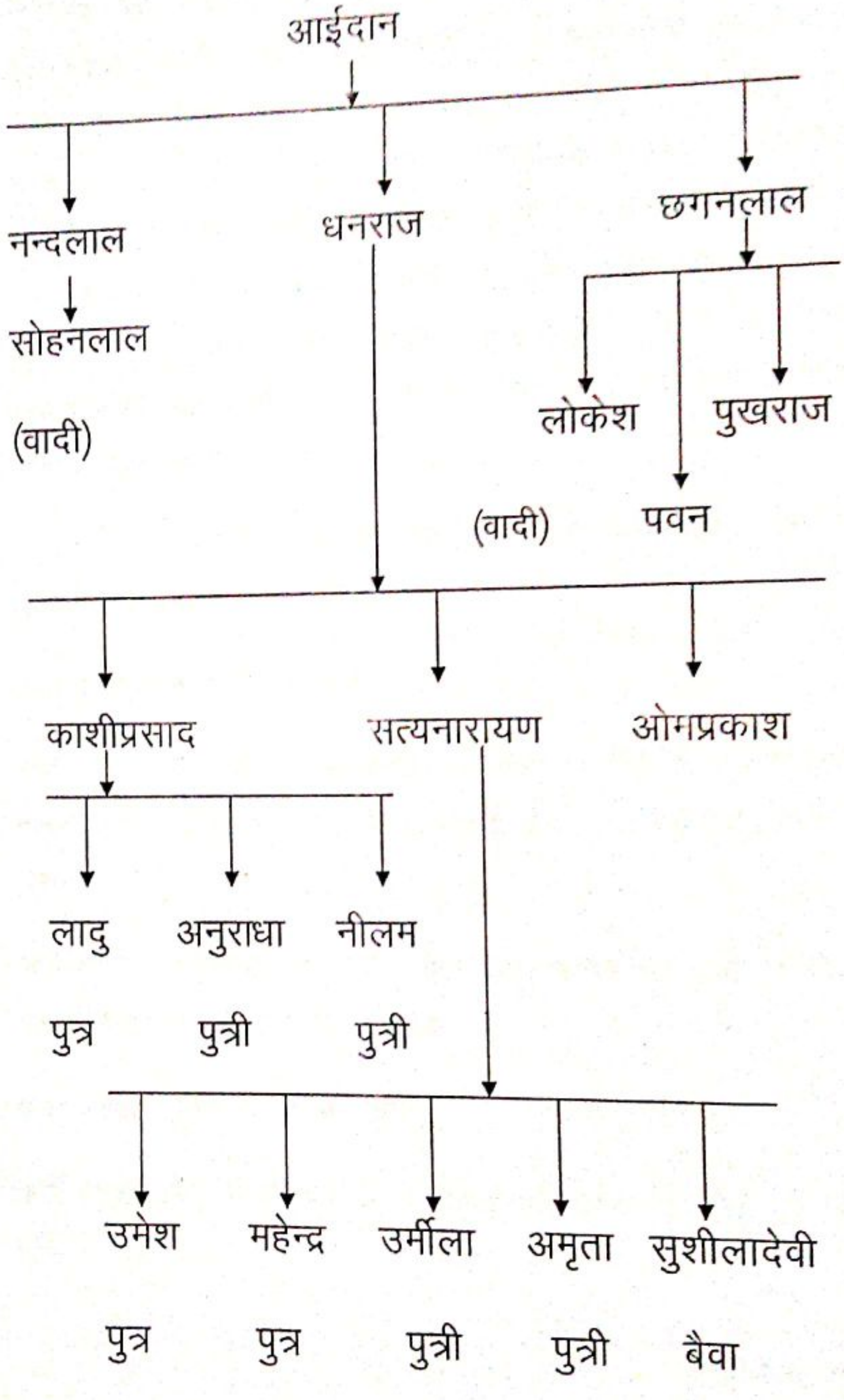

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 की पैत्रिक सम्पति व खातेदारी की भूमि वाके शरहद केराप खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 706 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 707 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 723 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 724 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 46 बीघा 05 बिस्वा व वाके सरहद सागु कलां खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा , खसरा नम्बर 251 रकबा 10 बीघा 15 बिसवा व खसरा नम्बर 380/241 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा है। उक्त खसरान संयुक्त खातेदारी के है, जिनका अभी तक विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। खतौनीयों की प्रमाणित प्रतिलिपी वाद के साथ पेश है।

वादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवाड़ा अरसे दराज पहले हो चुका है। जो निम्न प्रकार से है:–

ए) वादी सोहनलाल के बंट की भूमि–

– वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 707 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 723 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा।

– वाके शरहद सागुकलां खेत खसरा नम्बर 251 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 380/241 रकबा 15 बिस्वा।

बी) वादी लोकेश कुमार के बंट की भूमि:–

– वाके शरहद सागू कलां खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 07/2019
दायर दिनाँक 08.01.2019, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
सोहनलाल बनाम् ओम प्रकाश, वगैरा।

सी) प्रतिवादी पुखराज के बंट की भूमिः–

वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 706 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 724 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा।

डी) प्रतिवादी ओम प्रकाश के बंट की भूमि–

वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा।

इ) प्रतिवादीगण लादु, अनुराधा, नीलम तथा उमेश, महेन्द्र, उर्मीला, अमृता व सुशीला देवी के बंट की भूमिः–

– वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा।

उपरोक्त अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सों पर काबिज है।

वादी लोकेश व प्रतिवादी पवन ने अपने भाई प्रतिवादी पुखराज के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जिसके नाम नामान्तकरण भी हो चुका है। प्रतिवादी पवन कुमार को अन्य सम्पति मिल चुकी है। इसलिए उनको उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं चाहिएं खतौनी में दर्ज धनराज, सत्यनारायण व सन्तोषी बैवा काशी प्रसाद फौत हो चुके है। इसलिए उनके सभी वारिसान को उक्त पद में पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार से हैः–

क) कि वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 111, 150, 160, 706, 707, 723, 724 व 730 तथा वाके शरहद सागुकलां खेत खसरा नम्बर 247, 251 व 380/241 भूमि का विधिवत बंटवारा वाद के पद सं0 03 के अनुसार किया जाकर खातेदारी में अलग नाम दर्ज करने की घोषणा करावें।

ख) कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वे वादीगण के बंट व हिस्से में न स्वयं दखल करें, न किसी अन्य से करावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 07/2019
दायर दिनाँक 08.01.2019, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
सोहनलाल बनाम् ओम प्रकाश, वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अजीतसिंह ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विरेन्द्रसिंह ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

मुताबिक राजीनामा, माफिक अनुतोष वादी, दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुला माफिक राजीनामा/अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है व माफिक राजीनामा दावा डिक्री की इस्तदुआ पक्षकारान् जरिये वकुलाय कर रहे हैं कि वादी सोहनलाल के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 707 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 723 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा व वाके शरहद सागुकलां खेत खसरा नम्बर 251 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 380/241 रकबा 15 बिस्वा की घोषित की जावें।

वादी लोकेश कुमार के बंट में वाके शरहद सागू कलां खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि घोषित की जावें।

प्रतिवादी पुखराज के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 706 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 724 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा घोषित की जावें।

प्रतिवादी ओम प्रकाश के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा घोषित की जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद संख्या 07/2019
दायर दिनाँक 08.01.2019, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
सोहनलाल बनाम् ओम प्रकाश, वगैरा।

प्रतिवादीगण लादु उर्फ रमेश, अनुराधा, नीलम के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा घोषित की जावें। ऐसी सूरत में माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना, अदालत को उचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वादी सोहनलाल के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 707 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 723 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा व वाके शरहद सागुकलां खेत खसरा नम्बर 251 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 380/241 रकबा 15 बिस्वा की घोषित की जाती है। वादी लोकेश कुमार के बंट में वाके शरहद सागू कलां खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि घोषित की जाती है। प्रतिवादी पुखराज के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 706 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 724 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा घोषित की जाती है। प्रतिवादी ओम प्रकाश के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा घोषित की जाती है। प्रतिवादीगण लादु उर्फ रमेश, अनुराधा, नीलम के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा घोषित की जाती हैं तथा बकाया प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **28.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **07/2019** दायर दिनाँक **08.01.2019**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. सोहनलाल पुत्र श्री नन्दलाल 2. लोकेश कुमार पुत्र श्री छगनलाल जाति– ब्राहम्ण, निवासी– केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1– ओम प्रकाश पुत्र श्री धनराज 2– लादु उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 3– अनुराधा पुत्री श्री काशीप्रसाद 4– नीलम पुत्री श्री काशीप्रसाद 5– उमेश पुत्र श्री सत्यनारायण 6– महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 7– उर्मीला पुत्री श्री सत्यनारायण 8– अमृता पुत्री श्री सत्यनारायण 9– श्रीमति सुशीला बैवा सत्यनारायण 10– पुखराज पुत्र श्री छगनलाल 11– पवन पुत्र श्री छगनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 12– तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **28.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह वकील, वादीगण व श्री विरेन्द्रसिंह वकील प्रतिवादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वादी सोहनलाल के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 707 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 723 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा व वाके शरहद सागुकलां खेत खसरा नम्बर 251 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 380/241 रकबा 15 बिस्वा की घोषित की जाती है। वादी लोकेश कुमार के बंट में वाके शरहद सागू कलां खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि घोषित की जाती है। प्रतिवादी पुखराज के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 706 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 724 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा घोषित की जाती है। प्रतिवादी ओम प्रकाश के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा घोषित की जाती है। प्रतिवादीगण लादु उर्फ रमेश, अनुराधा, नीलम के बंट में वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

घोषित की जाती हैं तथा बकाया प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner